



पीबीएक्स

0522-4151200

फैक्स : 0522-2629284
ई.मेल : upcb.bkg@upscb.com

पत्रांक : बैंकिंग / एफ-134 / 2025-26 / 346

दिनांक : 14 अगस्त, 2025

उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.

(उ0प्र0 सरकार अंशधारी शिडयूल्ड बैंक)
मुख्यालय, 2, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / उपमहाप्रबन्धक
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखाएं,
उत्तर प्रदेश।

विषय : बैंक में इण्टरब्रांच बचत खाता पोर्टबिलिटी की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या : आरबीआई / 2012-13 / 122 UBD.BPD.(PCB).
Cir.No. 3/14.01.062/2012-13 दिनांक 10 जुलाई, 2012 द्वारा इण्टर बैंक निक्षेप खातों की पोर्टबिलिटी के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं। तदक्रम में बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक 17.06.2025 को पारित प्रस्ताव संख्या-05 में दी गयी स्वीकृति के क्रम में बैंक की समस्त शाखाओं के बचत खाताधारकों को एकाउन्ट पोर्टबिलिटी की सुविधा निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार प्रदान की जाती है :-

1. उद्देश्य :

योजना का उद्देश्य खाताधारकों के वैध कारणों के अनुसार बचत खाता को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानान्तरित करने की सुविधा प्रदान करना है, जिसमें बिना खाता संख्या बदले खाता एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानान्तरित हो जाता है।

2. पात्रता :

- खाता पोर्टबिलिटी की सुविधा खाताधारक के वैध कारणों को ध्यान में रखते हुए ही प्रदान की जायेगी, जैसे सेवा/कार्यालय के स्थानान्तरण/व्यवसायिक स्थल के स्थान में परिवर्तन/निवास स्थान के परिवर्तन के कारण आदि।
- खाताधारक द्वारा लिखित रूप से खाता पोर्ट करने के कारण का उल्लेख करते हुए मूल/वर्तमान शाखा में एकाउन्ट पोर्टबिलिटी हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया जायेगा।
- जिन खाताधारकों द्वारा वर्तमान शाखा से किसी भी प्रकार का ऋण लिया गया होगा अथवा खाता लियन/खाते में कोई चार्ज क्रियेट हो तो उन्हें खाता पोर्टबिलिटी की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी।

3. एकाउन्ट पोर्टबिलिटी की विशेषताएं एवं लाभ :

- खाताधारक का खाता संख्या परिवर्तित नहीं होगा।
- खाताधारक द्वारा यदि एक ही शहर की दूसरी शाखा में खाता पोर्ट किया जाना है, तो उन्हें खाता खोलने, केवाईसी फार्म एवं पते तथा पहचान का प्रमाण पत्र पुनः नहीं देना होगा, परन्तु यदि खाता बैंक के दूसरे शहर में पोर्ट किया जाना है तो उस जगह के निवास/कार्यालय/व्यवसायिक स्थल के पते के परिवर्तन हेतु दस्तावेज देने होंगे।
- एकाउन्ट पोर्टबिलिटी के पश्चात एटीएम कार्ड, इण्टरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस एवं यूपीआई की सुविधा यथावत उपलब्ध रहेगी।

4. मूल/वर्तमान शाखा द्वारा किये जाने वाले कार्य :

- खाताधारक से एकाउन्ट पोर्टबिलिटी के लिए निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त करना।
- खाताधारक से खाते की चेकबुक एवं पासबुक प्राप्त करना।
- खाताधारक की अनयूज्ड चेक बुक का स्टाप पेमेन्ट मार्क किया जायेगा परन्तु स्टाप पेमेन्ट चार्ज नहीं लिये जायेंगे।
- खाता पोर्ट करने के पूर्व बैंक सर्विस चार्ज के रूप में ₹0 100.00 + जीएसटी की कटौती ग्राहक के खाते से की जायेगी।
- खाताधारक के प्रार्थना पत्र के अनुसार सम्बन्धित शाखा में एकाउन्ट पोर्ट करना।
- खाताधारक के शाखा में उपलब्ध खाता खोलने का फार्म, केवाईसी फार्म, हस्ताक्षर नमूना एवं पता/पहचान के दस्तावेज सहित अन्य संलग्न दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियाँ ई-मेल के माध्यम से नयी शाखा में प्रेषित किया जायेगा।

5. नयी शाखा द्वारा किये जाने वाले कार्य :

- खाताधारक से निर्धारित प्रारूप पर Re-KYC कराना। नया केवाईसी फार्म एवं पते का प्रमाण पत्र प्राप्त करना (यदि खाता दूसरे शहर में पोर्ट किया गया है)।
- पूर्व/मूल शाखा से ई-मेल के माध्यम से प्राप्त खाताधारक के दस्तावेज प्रिन्ट कर शाखा में सुरक्षित रखना।
- खाताधारक को नयी पासबुक एवं चेकबुक निर्गत कर नियमानुसार सेवा प्रभार की कटौती की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार बैंक के बचत खाताधारकों को एकाउन्ट पोर्टबिलिटी की सुविधा प्रदान करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. प्रोजेक्ट मैनेजर, मै0 मेगासॉफ्ट सिस्टम प्रा0 लि0, सीबीएस वेन्डर, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार एकाउन्ट पोर्टबिलिटी सुविधा के सम्बन्ध में सीबीएस में आवश्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्धक (आईटी), उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, साइबर सिक्योरिटी सेल, मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र बैंक की वेबसाइट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त उपमहाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ
6. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरानगर, लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर-अध्यक्ष, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।

(के0डी0 पाठक)
महाप्रबन्धक (आईटी-बैंकिंग)



ACCOUNT PORTABILITY FORM
FOR TRANSFER OF SAVINGS ACCOUNT ONLY

I/We _____ (Name of the Account Holder)
request you to transfer my/our Account Number _____
From Old Branch _____ To New Branch _____

Old Branch Code _____

New Branch Code _____

1st Applicant

First Name

Middle Name

Surname

Mr/Ms/Tg

2nd Applicant

First Name

Middle Name

Surname

Mr/Ms/Tg

My New Mailing Address : [in case of any change in your address/ telephone number, please fill in the details below and furnish valid address proof.]

Building /Road Name

Village/City/Town

District

PS

Mobile No

PO

State

PIN Code

Land line No (with STD)

Email ID.

General Instructions :

- I. To update /change Nominee in your account please fill DA1/DA3 respectively
- II. I/We have understood that non maintenance of AQB will attract charges.
- III. I/We agree that I/We have read the terms and conditions of the Bank.

1st applicant

Name _____

Date _____

2nd applicant

Name _____

Date _____

To be filled by Bank Official

Date of receipt _____

Branch Code _____

Customer Signed in my presence

Signature _____

Name _____

Employee Code _____

Approved by (BM) _____

Signature _____

Date of Transfer/PORT _____

Customer Acknowledgement

Please quote the reference no. for future reference

Date _____

We acknowledge receipt of your A/c _____

transfer request from _____

Branch _____